...प्रिंटिंग प्रेस, बड़ीसादड़ी

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत SDO डूंगला मुकाम डूंगला

किशनदास बनाम प्रेमदास वगै.

मुकद्दमा वादपत्र नं. 88/2025 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/2/26	पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री...... उपस्थित...... कार्य स्थगन किया गया ...... अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 10/3/26 को पेश हो। BO	
10/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की बहस को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश में दिनांक 24.3.2026 को पेश हो। 10/03/26	
24/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के आदेश में नियत होने से आदेश इस प्रकार से है प्रतिवादीगण की ओर से श्री महेन्द्र सिंह चूण्डावत एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को खारीज किये जाने हेतु अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया गया कि मौजूद वाद पत्र में [illegible] ग्राम सारंगपुरा पटवार मण्डल [illegible] के खाता संख्या 65 में दर्ज [illegible] किता 2 कुल रकबा 2.3010 हेक्टेयर एवं [illegible] खाता संख्या 24/03/26	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:47:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	64 मे दर्ज कृषि आराजी नम्बर 647/359 रकबा 0.5060 हैक्टेयर भूमि में खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष चाहने का पेश किया है जो निम्न कारणों से निरस्त होने योग्य है।	
	(A) यह कि वादी किशन दास पुत्र हीरादास द्वारा स्वयं को तुलसीदास का गोद पुत्र अंकित करते हुए इसी न्यायालय में दिनांक 27/8/2021 को इसी आराजीयात की खातेदारी घोषणा के अनुतोष हेतु इन्हीं पक्षकारों के विरुद्ध वाद पत्र पेश किया गया था जिसको वादी स्वयं द्वारा दिनांक 7-7-2023 को वाद प्रकरण संख्या 82/2021 एवं प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 47/2024 को पक्षकारान के मध्य समझौता हो जाने से इन दोनो प्रकरणों को वाद द्वारा विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र को विड्रो करने के कारण दोनो प्रकरणों की पत्रावलियों को विड्रो की अनुमति दी जा चुकी है तथा दोनो प्रकरणों में कार्यवाही को बंद करने का उचित आदेश पारित किया गया। अत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 (3) के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें नया या पुनर्वाद प्रस्तुति की स्वीकृति नहीं चाही गई थी, जिसमे वादी किशनदास द्वारा प्रस्तुत यह वाद पत्र धारा 11 रेसज्यूडिकेटा के दोष से दूषित होने से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वाद निरस्त योग्य है।	
	(b) वादी किशनदास ने स्वयं को तुलसीदास का गोद पुत्र होने का वाद पत्र में अभिकथन किया है जबकि वस्तुत: [illegible] तुलसीदास [illegible] गोद पुत्र नहीं होकर हीरादास का ही [illegible] वादी सिविल [illegible] का दत्तक पुत्र [illegible] प्राप्त नहीं करवा [illegible] न्यायालय से घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने [illegible] अधिकारी नहीं होने से वाद पत्र इस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होकर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने के आधार पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत पुन: दर्ज वाद पत्र निरस्त योग्य है।	

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूँगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:47:07 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत SDO डूंगला मुकाम डूंगला
किशनदास बनाम प्रेमदास
मुकद्दमा नं. सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(C) कि स्वयं तुलसीदास जी, मोडीदास के दत्तक पुत्र होने से गोदनामा से उक्त सम्पत्ति तुलसीदास को प्राप्त होकर तुलसीदास जी की स्व-अर्जित की श्रेणी में आती है जिसे तुलसीदास जी ने प्रेमदास को दिनांक 6-8-2020 को जरिये पंजीकृत वसीयतनामा अंतरित की है उक्त वसीयतनामा पंजीकृत है जिसको सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना मौजूद वाद पत्र में टिकल नहीं रहता है जो वाद पत्र पेश किया गया है वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत निरस्त होने योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र उक्त कारणों से (प्रतिवादी) का स्वीकार कर वादी किशनदास द्वारा नवीन प्रस्तुत किये गये वाद पत्र संख्या 88/2025 को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारीज किया जाने का आदेश पारित किया जावे। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के सम्बन्ध में वादी की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार मेहता द्वारा जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार से है :-	
	(A) वादी द्वारा इस न्यायालय में पूर्व में खातेदारी की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना तथा स्थगन आदेश प्राप्त करना स्वीकार है परन्तु वादी द्वारा वाद को निरस्त विड्रो करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में उपस्थित होकर कभी भी आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर पेश नहीं किया गया है वादी की जगह फर्जी व्यक्ति किशनदास का हस्ताक्षर कर वाद को विड्रो किया गया जिस पर वादी ने न्यायालय	

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूँगला

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से नकल प्राप्त कर जिला पुलिस अधीक्ष चित्तौड़गढ़ के समक्ष कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी प्रेमदास ने षडयंत्र कर अपने पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर इंतकाल खुलवाने के लिए फर्जी तौर पर न्यायालय में वाद विड्रो करने का आवेदन कर न्यायालय से स्थगन समाप्त करा जमाबंदी में अपने नाम पर इंतकाल खुलवाया है जो जांच का विषय है इसलिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आ.सी. का चलने योग्य नहीं होकर निरस्त योग्य है।	
	(B) वादी द्वारा वाद पत्र पूर्व में खातेदारी की घोषणा को लेकर प्रस्तुत किया है वादी ने गोदपुत्र की घोषणा नहीं चाही गई है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का यह कथन कि वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है स्वीकार योग्य नहीं है। राजस्व भूमि को लेकर खातेदारी की वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है जिस कारण से प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज योग्य है।	
	(C) वादग्रस्त सम्पति तुलसीदास की होना स्वीकार नहीं है सम्पति पैतृक पुश्तैनी की आराजियात है दिनांक 6/8/2020 को प्रतिवादी प्रेमदास के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा जिसे वादी द्वारा शून्य एवं अकृत घोषित करने की सहायता चाही है और यह सहायता राजस्व न्यायालय ही दे सकता है जिस कारण से यह प्रार्थना पत्र प्रतिवादी का खारीज योग्य है।	
	प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आ.सी. का जवाब वकील वादी द्वारा दिये जाने के पश्चात पत्रावली को बहस प्रार्थना पत्र में नियत की गई। वकील [illegible] बहस को सुना गया। वकील वादी ने बहस [illegible] किया गया कि वादी के पूर्व में फर्जी हस्ताक्षर [illegible] पूर्व में प्रस्तुत हुए वाद पत्र को विड्रो किया गया [illegible] इस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही हेतु [illegible] पत्र जिला पुलिस अधीक्षक महोदय चित्तौड़गढ़ [illegible] पेश किया गया, परन्तु पुलिस थाना में एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होना बताया गया है। तथा वादी के हस्ताक्षर नहीं होना बताया गया है। वकील प्रतिवादी	

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला

प्रिंटिंग प्रेस, बड़ीसादड़ी

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत SDO डूंगला मुकाम डूंगला
किशनदास बनाम प्रेमदास
मुकदमा वादपत्र नं. 88/2025 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ने बहस में कथन किया गया कि वादी स्वयं किशनदास के हस्ताक्षर वाद प्रकरण को विड्रो करने के प्रार्थना पत्र पर है तथा उस प्रार्थना पत्र पर पहचान के रूप में वकील वादी के हस्ताक्षर है जो वादी किशनदास के ही है। इसलिए वादी का वाद पत्र को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आ.सी. के तहत खारीज किया जावे का जारी पारित किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस को सुना जाने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत वाद पत्र प्रकरण को विड्रो करने के प्रार्थना पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर वादी किशनदास के करने के सम्बन्ध में जांच बाबत की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। जबकि वकील प्रतिवादी ने पूर्व में प्रस्तुत हुए वाद प्रकरण के वाद पत्र के प्रकरण संख्या 82/2021 के विड्रो के आदेश दिनांक 7-7-2023 एवं वाद पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत होकर संलग्न पत्रावली है। इसलिए प्रमाणित होता है कि वादी द्वारा इसी आराजियात को लेकर इन्हीं पक्षकारो के विरुद्ध पूर्व में वाद पत्र पेश करना तथा पुनः वाद पत्र को इसी आराजियात को लेकर इन्हीं पक्षकारों विरुद्ध पेश होना सही होना पाया गया है। इसलिए वादी द्वारा पुनः प्रस्तुत किये गये वाद पत्र को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आ.सी. के तहत खारीज किया जाना न्यायसंगत होकर उचित है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 आ.सी. को स्वीकार किया जाने का आदेश दिया जाता है। तथा वादी किशनदास द्वारा पुनः प्रस्तुत किये गये वाद पत्र प्रकरण संख्या 88/2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत खारीज किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख में जमा हो।	

24/3/26

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:47:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner